अमेरिका में यहूदियों पर अबतक का सबसे बड़ा हमला

46 साल के व्यक्ति ने यहूदी प्रार्थनास्थल पर की गोलीबारी, 11 की मौत

हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते लोग।

वाशिंगटन, 28 अक्तूबर (भाषा)।

अमेरिका के पिट्सबर्ग शहर में हथियार से लैस एक व्यक्ति ने यहूदियों के प्रार्थना स्थल सिनेगॉग में घुस कर गोलीबारी की। इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई और चार पुलिसकर्मी समेत छह अन्य घायल हो गए। बंदूकधारी की पहचान 46 साल के रॉबर्ट बोअर्स के तौर पर हुई है। उसने पिट्सबर्ग के स्क्विरल हिल स्थित 'ट्री ऑफ लाइफ' कांग्रिग्रेशन सिनेगॉग पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल होने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उसपर 29 आरोप लगाए हैं। इस हमले को अमेरिका में यहूदियों पर अबतक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है।

शहर के जन सुरक्षा निदेशक वेंडेल हिसरिच ने बताया कि इस गोलीबारी में 11 लोगों की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायलों और मृतकों में कोई बच्चा शामिल नहीं था। संघीय अभियोजकों ने बताया कि बोअर्स के सोशल मीडिया अकाउंट में यहूदियों के खिलाफ उसकी नफरत झलकती है। बंदूकधारी पर हिंसा और आग्नेयास्त्रों के इस्तेमाल से जुड़े संघीय अपराधों के 29 आरोप लगाए गए हैं। जांच एजंसी एफबीआइ मामले की जांच घृणा अपराध के तौर पर कर रही है। ऐसी खबर है कि गोली चलाने से पहले बोअर्स ने चिल्लाकर कहा था, 'सभी यहूदियों को मर जाना चाहिए।' एफबीआइ के पिट्सबर्ग प्रभारी विशेष एजंट बॉब जोंस ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरणों में है और ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उसका पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या नहीं।

गोलीबारी को यहूदी विरोधी कदम बताते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे बंदूकधारियों के लिए मौत की सजा की मांग की। उन्होंने आदेश दिया कि वाइट हाउस, सार्वजनिक मैदानों, सैन्य चौकियों, नौसैन्य केंद्रों और जहाजों पर लगे झंडे मृतकों के प्रति शोक सम्मान में 31 अक्तूबर तक आधे झुके रहेंगे।

उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा, 'पिट्सबर्ग में जो हुआ वह आपराधिक ही नहीं था बल्कि दुष्टता थी– मासूम अमेरिकियों पर हमला और हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला था। अमेरिका में हिंसा के लिए या यहूदी विरोध के लिए कोई स्थान नहीं है। इस बुराई को खत्म होना ही होगा।' पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने देशवासियों से यहूदी विरोधी विचारधारा के पनपने के खिलाफ लड़ाई लड़ने की अपील की।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घटना के बाद अमेरिका के साथ एकजुटता जताते हुए एक वीडियो संदेश में कहा, 'पिट्सबर्ग के सिनेगॉग में हुए जानलेवा हमले से मेरा दिल बहुत दुखी है। मैं सदमे में हूं।'

चीन : निजी रॉकेट का प्रक्षेपण असफल

बेजिंग, 28 अक्तूबर (एपी)।

चीन की एक निजी कंपनी का अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने का पहला प्रयास असफल हो गया है। बेजिंग स्थित लैंडस्कैप कंपनी ने शनिवार देर शाम बताया कि उसका जेडक्यू-1 रॉकेट का पहला और दूसरा चरण सामान्य रूप से काम कर रहा था लेकिन तीन स्तरीय रॉकेट के आखिरी चरण में कुछ गड़बड़ हो गई। चीन में पहली बार एक निजी कंपनी ने तीन-चरण वाले रॉकेट का निर्माण किया।

माली में दो संरा शांतिरक्षकों की हत्या : बामाको, 28 अक्तूबर (एपी)। अफ्रीकी देश माली के टिंबकटू में शनिवार को बंदूकधारियों ने संयुक्त राष्ट्र के शिविर पर हमला किया। इसमें दो शांतिरक्षकों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। संयुक्त राष्ट्र माली मिशन की प्रवक्ता ने बताया कि सशस्त्र लोगों ने बेर कस्बे में बने उनके शिविर पर हमला किया। सभी हताहत शांतिरक्षक बुर्कीना फासो के निवासी थे।

इजराइली विमान उतरने का पाक ने किया खंडन

इस्लामाबाद, 28 अक्तूबर (भाषा)।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने इजराइल के साथ किसी भी प्रकार के संबंध स्थापित करने से इनकार किया है। उन्होंने रविवार को इस खबर का खंडन किया कि कुछ अधिकारियों को लेकर एक इजराइली विमान गुपचुप इस्लामाबाद पहुंचा और हवाई अड्डे पर कई घंटे तक ठहरने के बाद चला गया। अल्वी ने रविवार को तुर्की रवाना होने से पहले मीडिया से कहा, 'इस्लामाबाद इजराइल से किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर रहा है।' पाकिस्तान और इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंध नहीं है।

दरअसल इजराइली पत्रकार अवी शार्फ ने 25 अक्तूबर को ट्वीट किया था कि एक इजराइली निजी विमान तेल अवीव से इस्लामाबाद पहुंचा। वहां दस घंटे तक रुकने के बाद वह तेल अवीव लौट आया। इसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा चल पड़ी और लोगों ने सरकार की आलोचना शुरु कर दी। विपक्ष ने भी इस 'गुप्त इजराइली मिशन' पर सरकार से सफाई मांगी।

विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इजराइली निजी विमान उतरने की खबर को फर्जी और बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रश्न तो जवाब देने के लायक भी नहीं है। वहीं सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा, 'सरकार इजराइल या भारत से कोई गुप्त वार्ता नहीं करेगी।' उन्होंने कहा कि यह बड़ा अफसोजजनक है कि पाकिस्तानी उड़ान क्षेत्र या उसके किसी हवाईअड्डे पर किसी इजराइली विमान की मौजूदगी की खबर से नागर विमानन प्राधिकरण के इनकार के बावजूद ऐसी खबर आई है। पाकिस्तान मुसलिम लीग-नवाज के नेता अहसन इकबाल ने कहा कि संसद को इस मुद्दे पर विश्वास में लिया जाना चाहिए।

वहीं इजराइली पत्रकार ने बाद में कहा कि वह शत प्रतिशत पक्का नहीं हैं कि विमान इस्लामाबाद में उतरा था या नहीं।

इंडोनेशिया में लिटिल इंडिया गेट का उद्घाटन

सिंगापुर, 28 अक्तूबर (भाषा)।

उत्तरी इंडोनेशिया के मेदन शहर में रविवार को 'लिटिल इंडिया गेट' का उद्घाटन किया गया। यह देश में अपने तरह का पहला ऐसा ढांचा है जो शहर के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान को मान्यता देने के लिए बनाया गया है। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत, मेदन शहर के मेयर एचटीडी एलिदन एस ने शहर के मद्रास विलेज या कम्पुंग मद्रास में इस संरचना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। मेदन इंडोनेशिया का चौथा सबसे बड़ा शहर है। इस अवसर पर करीब सात हजार लोग पूरे उत्साह के साथ मौजूद थे।

MARKTESH TRADING LIMITED
Regd.Office: 612, Devika Tower, 6th floor, 6, Nehru Place, New Delhi-110019
CIN : L51909DL2005PLC135119
E-mail : shriharshraizada@gmail.com
Tel/Fax: +91-11-26219944

NOTICE

Notice is hereby given that Pursuant to Clause 41 of the Listing Agreement, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday the 13 November, 2018 at 4.30 p.m. at its Registered Office to consider and take on record Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and 6 month ended 30th September, 2018.

For Marktesh Trading Ltd.
Place : New Delhi — A. Bajoria
Date : 28.10.2018 — Director

प्रपत्र सं. आइएनसी–26
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार/क्षेत्रीय निदेशक
उत्तरी क्षेत्रीय पीठ मे समक्ष नई दिल्ली मे हेड क्वार्टर कम्पनी अधिनियम, 2013 की उप–धारा (4) और कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के उपवाक्य (क) के मामले में
तथा
सुपरसोनिक मार्केटिंग प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय 268, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली – डीएल 110065 के मामले में
...याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में क्षेत्राधिकार के भीतर में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 03 अक्टूबर 2018, को आयोजित असाधारण साधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पूष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकयत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पं दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा :

सुपरसोनिक मार्केटिंग प्रा. लि.
पंजीकृत कार्यायल : 268, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली – डीएल 110065

कृते सुपरसोनिक मार्केटिंग प्रा. लि.
हस्ता./–
राजेश कुमार जैन
निदेशक
डीआईएन : 00410444
पता : बी–13, 2 फ्लोर, लाजपत नगर–III नई दिल्ली – 110024 डीएल इन
तिथि : 29.10.2018
स्थान : दिल्ली

हिमालय माइको न्यूट्रिअन्ट प्रा. लि.
पंजी. कार्यालय : 60/4, (1/17525), 1 तल, आई.ओ.सी. के अन्दर बिल्डिंग ऑफिस कॉम्प्लेक्स, युसूफ सराई, नई दिल्ली–110016
सीआईएन : U74899DL1984PTC018627
प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्र सरकार,
(क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली)
उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (क) के विषय में
तथा
हिमालय माइको न्यूट्रिअन्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 60/4, (1/17525), 1 तल, आई.ओ.सी. के अन्दर बिल्डिंग ऑफिस कॉम्प्लेक्स, युसूफ सराई, नई दिल्ली–110016 में स्थित है, के विषय में ....याचिकादाता

सूचना

एतदद्वारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय **"रा.रा.क्षे. दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में 10–10–2018 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी **शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता** है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, बी–2 विंग, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को ऊपर लिखे पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए :

कृते एवं हिते आवेदक
हिमालय माइको न्यूट्रिअन्ट प्रा. लि.
हस्ता./–
अनुज कुमार गुप्ता
निदेशक
डीआईएन : 00273844
दिनांक : 25–10–2018
स्थान : दिल्ली

दयाल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : कमरा नं. 3, 3 तल, 260/4, (1/17525), आई.ओ.सी. के अन्दर बिल्डिंग ऑफिस कॉम्प्लेक्स, युसूफ सराई, नई दिल्ली–110016
सीआईएन : U51311DL1998PTC094653
प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्र सरकार,
(क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली)
उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (क) के विषय में
तथा
दयाल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय कमरा नं. 3, 3 तल, 260/4, (1/17525), आई.ओ.सी. के अन्दर बिल्डिंग ऑफिस कॉम्प्लेक्स, युसूफ सराई, नई दिल्ली– 110016 में स्थित है, के विषय में ....याचिकादाता

सूचना

एतदद्वारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय **"रा.रा.क्षे. दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में 10–10–2018 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी **शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता** है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, बी–2 विंग, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को ऊपर लिखे पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए :

कृते एवं हिते आवेदक
दयाल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./–
अभय कुमार गुप्ता
निदेशक
डीआईएन : 00273668
दिनांक : 25–10–2018
स्थान : दिल्ली

दयाल बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : कमरा नं. 2, 3 तल, 260/4, (1/17525), आई.ओ.सी. के अन्दर बिल्डिंग ऑफिस कॉम्प्लेक्स, युसूफ सराई, नई दिल्ली–110016
सीआईएन : U74899DL1988PTC032560
प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्र सरकार,
(क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली)
उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (क) के विषय में
तथा
दयाल बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय कमरा नं. 2, 3 तल, 260/4, (1/17525), आई.ओ.सी. के अन्दर बिल्डिंग ऑफिस कॉम्प्लेक्स, युसूफ सराई, नई दिल्ली– 110016 में स्थित है, के विषय में ....याचिकादाता

सूचना

एतदद्वारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय **"रा.रा.क्षे. दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में 10–10–2018 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी **शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता** है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, बी–2 विंग, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को ऊपर लिखे पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए :

कृते एवं हिते आवेदक
दयाल बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./–
अभय कुमार गुप्ता
निदेशक
डीआईएन : 00273668
दिनांक : 25–10–2018
स्थान : दिल्ली

दयाल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : कमरा नं. 1, 3 तल, 260/4, (1/17525), आई.ओ.सी. के अन्दर बिल्डिंग ऑफिस कॉम्प्लेक्स, युसूफ सराई, नई दिल्ली–110016
सीआईएन : U74899DL1998PTC095466
प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्र सरकार,
(क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली)
उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (क) के विषय में
तथा
दयाल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय कमरा नं. 1, 3 तल, 260/4, (1/17525), आई.ओ.सी. के अन्दर बिल्डिंग ऑफिस कॉम्प्लेक्स, युसूफ सराई, नई दिल्ली– 110016 में स्थित है, के विषय में ....याचिकादाता

सूचना

एतदद्वारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय **"रा.रा.क्षे. दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में 10–10–2018 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी **शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता** है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, बी–2 विंग, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को ऊपर लिखे पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए :

कृते एवं हिते आवेदक
दयाल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./–
अभय कुमार गुप्ता
निदेशक
डीआईएन : 00273668
दिनांक : 25–10–2018
स्थान : दिल्ली

PTC India Ltd.
PTC India
Regd. Office : 2nd Floor, NBCC Tower, 15, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066
(CIN : L40105DL1999PLC099328)
Tel: 011- 41659500, 41595100, 46484200, Fax: 011-41659144
E-mail: info@ptcindia.com, Website: www.ptcindia.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, the 13th day of November 2018 inter-alia, to consider and approve the un-audited financial results for the quarter and half year ended September 30, 2018 amongst other items mentioned in the agenda.

By order of the Board
For PTC India Ltd.
Sd/-
(Rajiv Maheshwari)
Company Secretary
FCS-4998
Place: New Delhi
Date: 26/10/2018

Note:- Futher details on the matters above said may be accessed at the link of the Company's website http://www.ptcindia.com ,('Notice to Exchanges' in Statutory Information) and Stock Exchange website i.e. NSE: www.nseindia.com and BSE: www.bseindia.com .

कैल्कॉम विजन लिमिटेड
CIN:- L92111DL1985PLC021095
पंजी. कार्यालयः सी–41, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली–110024
Email id: corp.compliance@calcomindia.com
Website: www.calcomindia.com, Contact No.- 0120-2569761
30 सितंबर, 2018 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण
(शेयर डैटा को छोड़कर रु. लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.09.18 अनंकेक्षित	समाप्त तिमाही 30.06.18 अनंकेक्षित	समाप्त तिमाही 30.09.17 अनंकेक्षित	समाप्त छमाही 30.09.18 अनंकेक्षित	समाप्त छमाही 30.09.17 अनंकेक्षित	समाप्त वर्ष 31.3.18 अंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय	1408.85	1259.27	687.79	2668.12	1485.28	2598.16
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	85.54	63.07	60.29	148.61	90.39	95.10
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	85.54	63.07	60.29	148.61	91.22	267.14
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	85.54	63.07	60.29	148.61	91.22	267.14
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	85.54	63.07	60.29	148.61	91.22	267.14
6.	इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10 प्रति पूर्णतः प्रदत्त)	1054.34	1054.34	568.12	1054.34	568.12	811.23
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	−219.22			−219.22		−854.06
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/– प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)						
	– मूल	0.81	0.60	1.06	1.41	1.61	3.29
	– तरल	0.81	0.60	0.57	1.41	0.87	2.53

टिप्पणीः
1. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियमन 33 अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 30 सितम्बर 2018 को समाप्त तिमाही तथा छमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात् www.bseindia.com तथा साथ ही कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.calcomindia.com पर उपलब्ध है।
2. इन वित्तीय परिणामों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) के अनुसार तैयार किया गया है।

बोर्ड के आदेश से
कैल्कॉम विजन लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
एस.के. मलिक
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 27 अक्टूबर, 2018

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
माता मिश्री देवी भवन, पालम गुड़गांव रोड, समलका, नई दिल्ली– 110037
अनुसूची 6 [नियम 8 (1)]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, समलका शाखा, माता मिश्री देवी भवन, पालम गुड़गांव रोड, समलखा, नई दिल्ली– 110037 (भारत) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना संदर्भ सं. एसएआरएम/ डीईएम/ 2017–18 तिथि 10.1.2018 जारी कर ऋणधारक मै. पर्फैक्ट कैन्स कम्पनी, रणबोल्ला, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली– 110041, निदेशकों/ गारन्टरों/ पार्टनरों श्री संजय कुमार गोयल, सी–199/200, 2रा तल, जीवन पार्क, सोम बाजार, नई दिल्ली–110057 एवं श्री वशीमुम नबी खान, डी 2 ए/ 2 सी, जनकपुरी, नई दिल्ली– 110057 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि ब्याज के साथ रु. 23,46,000/– (रुपये तेईस लाख छियालिस हजार मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, गारन्टर/ पार्टनर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टर्स/ पार्टनर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 26.10.2018 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक/ सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/ गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 23,46,000/– (रुपये तेईस लाख छियालिस हजार मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

श्री संजय कुमार गोयल के नाम में सी–199/200, 2रा तल, जीवन पार्क, सोम बाजार, नई दिल्ली–110057 पर निर्मित भूमि एवं भवन, **चौहद्दीः** उत्तरः सम्पत्ति सं. सी–201 (डीड के अनुसार, सी–201/2 (आर/एस) (वास्तविक), दक्षिणः सम्पत्ति सं. सी–199/200 (डीड के अनुसार), सी–199/2 (एल/एस) (वास्तविक), पूर्वः सम्पत्ति सं. सी–200 (डीड के अनुसार), मंदिर (पीछे) (वास्तविक), पश्चिमः सड़क 18'' चौड़ी (डीड के अनुसार) फ्रान्ट (वास्तविक)

तिथिः 26.10.2018 (प्राधिकृत अधिकारी)
स्थानः नई दिल्ली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

आर.सी. नं. 260/2017 — **बिक्री उद्घोषणा सूचना** — तिथिः 1.10.2018

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा
विजया बैंक बनाम जय रोड कैरिअर्स

1. मै. जय रोड कैरिअर्स, द्वारा उसके प्रॉप्राइटर श्री रविन्दर सिंह चंढ़ोक, पुत्र स्व. सुरिन्दर सिंह, बीजी 600, संजय गांधी ट्रान्सपोर्ट नगर, दिल्ली-110092
साथ हीः 48, रोड नं. 52, पंजाबी बाग वेस्ट, दिल्ली-110026
2. श्रीमती रुपम कौर, पत्नी श्री रविन्दर सिंह चंढ़ोक, 48, रोड नं. 52, पंजाबी बाग वेस्ट, दिल्ली-110026
3. श्रीमती सुरजीत कौर, पत्नी स्व. श्री सुरिन्दर, 48, रोड नं. 52, पंजाबी बाग वेस्ट, दिल्ली-110026

जैसा कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली द्वारा जारी ओ.ए.नं.204/2013/डीआरटी-III, दिल्ली तिथि 13.7.2017 में रिकवरी प्रमाणपत्र के संदर्भ में आपके द्वारा देय रु. 1,17,91,000/- (रुपये एक करोड़ सत्तरह लाख इक्यानवे हजार मात्र) तथा प्रमाणपत्र के अनुसार देय ब्याज तथा लागतों का भुगतान करने में आप विफल रहे हैं।

तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

तथा जैसा कि ओए के दाखिल करने की तिथि से सम्पूर्ण बकाये की वसूली तक 13% प्रति वर्ष की साधारण दर पर ब्याज तथा लागतों के साथ रु. 1,17,91,000/- (रुपये एक करोड़ सत्तरह लाख इक्यानवे हजार मात्र) की राशि संयुक्त तथा पृथक रूप से आप/सीडीज पर बकाया है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 19.12.2018 को 3.00 बजे अप. से 4 बजे के बीच (यदि जरूरी हो, समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में स्वतः विस्तार उपबंध के साथ) ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली "ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बोली" के माध्यम से मै. सी 1 इंडिया प्रा.लि., उद्योग विहार, फेज-2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, गुड़गाँव, प्रथम तल, हरियाणा-122015, हेल्प लाइन नं. +91-124-4302020/21/22/23, मो.ः 09813887931, ईमेल आईडीः support@bankeauctions.co द्वारा की जायेगी। अधिक विवरणों के लिये सम्पर्क करेंः श्री प्रफुल्ल कुमार कार, मोबाईल नं. 8277673525, सीएच बैंक के अधिकारी।

यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए; ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।

ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

1. आरक्षित मूल्य जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं.	सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी
1.	सम्पत्ति प्लॉट नं. 600, ब्लॉक-बीजी, संजय गांधी, ट्रान्स्पोर्ट नगर, दिल्ली।	रु. 40.00 लाख/ईएमडीः रु. 4.00 लाख

2. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
3. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/ अस्वीकार कर सकते हैं।
4. ईएमडी का भुगतान 17.12.2018 तक रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/ पे आर्डर द्वारा रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III दिल्ली के पास किया जायेगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
5. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद में मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/ अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/ काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उन दस्तावेजों की मूल कॉपी रिकवरी अधिकारी II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा की जायेगी।
6. असफल बोलीदाताओं की ईएमडी उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत करने के बाद डीआरटी-III, दिल्ली द्वारा नीलामी के अगले दिन उन्हें वापस लौटा दी जायेगी।
7. सफल बोलीदाता को ऊपर पैरा 4 में वर्णित विवरणों के अनुसार अगले बैंक कार्य दिवस के 3.00 बजे अप. तक उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद अपनी अंतिम बोली राशि के 25% का भुगतान करना होगा।
8. क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा 3 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रु. 1000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1000/- की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास पाउंडेज शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे।
10. संपत्ति की बिक्री **'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है'** आधार पर की जा रही है।
11. अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।

लॉट नं.	बिक्री की जाने वाली संपत्ति का विवरण के साथ सह-ऋणधारकों जहाँ सम्पत्ति चूककर्ता का तथा सह-ऋणधारक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का है, का नाम	संपत्ति या उसके किसी भाग पर गणना की गई राजस्व	ऐसा किसी अधिभारों का विवरण जो संपत्ति पर देय है	दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य कोई ज्ञात विवरण
1	2	3	4	5
1	सम्पत्ति प्लॉट नं. 600, ब्लॉक-बीजी, संजय गांधी, ट्रान्स्पोर्ट नगर, दिल्ली।	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

मेरे हाथ से तथा मुहर लगाकर 1 अक्टूबर, 2018 को दी गई।
हस्ता./- (विकास जेटली)
रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली

This is a Public Announcement for information purpose only and is not a Prospectus Announcement.

MANAPPURAM FINANCE LIMITED

Manappuram Finance Limited (our "Company") was incorporated as Manappuram General Finance and Leasing Limited on July 15, 1992 at Thrissur, Kerala, under the Companies Act, 1956 with corporate identity number L65910KL1992PLC006623 as a public limited company and obtained a certificate for commencement of business dated July 31, 1992. The name of our Company was changed to Manappuram Finance Limited pursuant to a fresh certificate of incorporation dated June 22, 2011. Further, our Company is registered as a Non-Banking Financial Company ("NBFC") within the meaning of the Reserve Bank of India Act, 1934, as amended (the "RBI Act"). For further details, please see the section titled "History and Main Objects" on page 133 of the Shelf Prospectus.

Corporate Identity Number of our Company is L65910KL1992PLC006623
Registered and Corporate Office: IV/470A (Old) W/638A(New), "Manappuram House", Valapad, Thrissur 680 567
Tel: (91 487) 305 0000; **Fax:** (91 487) 239 9298; **Website:** www.manappuram.com
Company Secretary and Compliance Officer: Ramesh Periasamy; **Tel:** (91 487) 305 0417,408; **Fax:** (91 487) 239 9298; **Email:** cs@manappuram.com

Our Promoters are V. P. Nandakumar and Sushama Nandakumar. For further details, please see the section titled "Our Promoters" on page 151 of the Shelf Prospectus.

PUBLIC ISSUE BY OUR COMPANY OF SECURED, REDEEMABLE, NON-CONVERTIBLE DEBENTURES OF FACE VALUE OF ₹ 1,000 EACH ("NCDs") FOR AN AMOUNT AGGREGATING UP TO ₹ 10,000 MILLION ("SHELF LIMIT"). THE BASE ISSUE SIZE OF THE TRANCHE 1 ISSUE IS ₹ 2,000 MILLION WITH AN OPTION TO RETAIN OVERSUBSCRIPTION UP TO ₹ 8,000 MILLION AGGREGATING UP TO THE SHELF LIMIT ("TRANCHE 1 ISSUE / TRANCHE 1 ISSUE SIZE").

CORRIGENDUM TO THE SHELF PROSPECTUS AND THE TRANCHE 1 PROSPECTUS, EACH DATED OCTOBER 16, 2018, THE APPLICATION FORMS AND ABRIDGED PROSPECTUS

Investors should note that the following disclosure supplements and should be read along with the existing disclosures in the sections titled "Material Developments" on page 171 of the Shelf Prospectus and page 27 of the Tranche 1 Prospectus, respectively:
Pursuant to a resolution dated October 16, 2018, the Board of Directors have accepted the resignation of Mr. Ramesh Periasamy, Company Secretary and Compliance Officer of the Company. His resignation letter was dated October 5, 2018, and in accordance with the Company's policies, he will be relieved from his duties after serving a notice period of three months, with effect from January 4, 2019.
This Corrigendum, the Shelf Prospectus and the Tranche 1 Prospectus shall constitute the entire Prospectus.

Contents of the Memorandum of Association of the Company as regards its objects: For information on the main objects of our Company, see "History and Main Objects" on page 133 of the Shelf Prospectus. The Memorandum of Association of the Company is a document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section titled "Material Contracts and Documents For Inspection" on page 77 of the of the Tranche 1 Prospectus.

Liability of Members: Limited by Shares.

Amount of share capital of the Company and Capital Structure as at the date of the Prospectus is: The authorised share capital of our Company is ₹ 2,000,000,000 divided into 980,000,000 Equity Shares of ₹ 2 each and 400,000 Redeemable Preference Shares of ₹ 100 each. The issued and subscribed and paid-up capital is ₹ 1,685,619,714 divided into 842,809,857 Equity Shares of ₹ 2 each. For further details, see the section titled "Capital Structure" on page 51 of the Shelf Prospectus.

Names of the signatories at the time of signing of the Memorandum of Association of the Company and the number of shares subscribed by them at the time of signing the Memorandum of Association: Mr. V.P. Nandakumar, Mrs. K.K. Sarojini Padmanabhan, Mr. V.S. Vyasababu, Mr. V.K. Subramanian, Mr. Subhajeevanlal, Mr. B.N. Raveendra Babu, Mrs. Shelly Ekalavian were allotted 250 equity share each at the time of signing of the Memorandum of Association of the Company aggregating to 1750 Equity Shares of face value ₹ 10 each.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Prospectus has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause of the BSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF USE OF BSE ELECTRONIC PLATFORM: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE to use their network and software of the Online system should not in any way be deemed or construed that the compliance with various statutory requirements approved by the Exchange; nor does it in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the compliance with the statutory and other requirements nor does it take any responsibility for the financial or other soundness of the Company, its promoters, its management or any scheme or project of the Company.

It is also to be distinctly understood that the approval given by BSE is only to use the software for participating in system of making application process.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Shelf Prospectus and/or Tranche 1 Prospectus, as applicable.

Disclaimer: Manappuram Finance Limited, subject to market conditions and other considerations, is proposing a public issue of secured redeemable non-convertible debentures ("**NCDs**") and has filed the Shelf Prospectus dated October 16, 2018 and Tranche 1 Prospectus dated October 16, 2018 with the Registrar of Companies, Kerala and Lakshadweep at Ernakulam, the BSE Limited and SEBI. The Shelf Prospectus dated October 16, 2018 and Tranche 1 Prospectus dated October 16, 2018 are available on the websites of the Company at www.manappuram.com, on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com and the respective websites of the Lead Managers at www.akgroup.co.in and www.edelweissfin.com. Investors proposing to participate in the Issue should invest only on the basis of information contained in the Shelf Prospectus dated October 16, 2018 and Tranche 1 Prospectus dated October 16, 2018. Investors should note that investment in NCDs involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Shelf Prospectus dated October 16, 2018, including the section 'Risk Factors' beginning on page 13 of the Shelf Prospectus dated October 16, 2018.

For **Manappuram Finance Limited**
Sd/-
Managing Director and Chief Executive Officer
Place: Thrissur
Date: October 26, 2018

Adfactors 363